आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही
	1	

उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

विविध वाद संख्या–05/2019–20

योगमाया देवी

–बनाम–

राज्य सरकार एवं अन्य

–: आदेश :–

18/12/20

प्रस्तुत विविध वाद सं0 05/2019–20 आवेदिका द्वारा दाखिल आवेदन के साथ संलग्न माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची के डब्लू0पी0(सी0) नं0 6532/2018 योगमाया देवी –बनाम– राज्य सरकार एवं अन्य में पारित आदेश के आलोक में प्रारंभ की गई।

मामला संक्षिप्त में निम्न प्रकार है:– आवेदिका द्वारा उधवा प्रखण्ड के बकाईटोला आँगनबाड़ी केन्द्र सं0 258 में दिनांक 26.10.2000 को सेविका के पद पर योगदान की थी। लंबे समय से अपने कर्तव्य से बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने के आरोप में आवेदिका को सेविका पद से पदच्युत करते हुए आँगनबाड़ी केन्द्र सं0 241 खादीटोला मिर्जानगर को दिनांक 24.09.2016 को कार्यभार सौपने का आदेश प्राप्त हुआ, जिसके विरूद्ध आवेदिका द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची में डब्लू0पी0(सी0) नं0 6532/2018 योगमाया देवी –बनाम– राज्य सरकार एवं अन्य दायर किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची द्वारा आदेश पारित किया गया कि चार सप्ताह में सुनवाई कर विधिसंवत आदेश पारित करें।

आवेदिका के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने लिखित बहस में उल्लेख किया गया है कि आवेदिका को सरकारी नियमानुसार सेविका पद पर आँगनबाड़ी केन्द्र सं0–258 बकाईटोला, पश्चिमी उधवा में चयन होने के फलस्वरूप दिनांक 26.10.2000 को योगदान की। योगमाया देवी दिनांक 25.08.2016 तक बिना रूकावट एवं बिना किसी आपत्ति/शिकायत के अपने कर्तव्यों का निर्वाहण करती रही। उन्होंने अपने बहस में यह भी कहा है कि दिनांक 25.08.2016 को अचानक तबीयत खराब होने के कारण बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, उधवा को दिनांक 25.08.2016 से 11.09.2016 तक छुट्टी हेतु आवेदन दाखिल कर अनुरोध किया गया। पुनः दिनांक 12.09.2016 को एक आवेदन देकर एक माह छुट्टी बढ़ोतरी हेतु अनुरोध किया गया।

आगे उन्होंने यह भी अपने आवेदन में लिखा है कि बीमारी ठीक होने के पश्चात दिनांक 30.12.2016 को योगदान करने हेतु बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, उधवा को Fitness Certificate के साथ आवेदन दिया, परन्तु योगदान स्वीकृत नहीं किया गया। पुनः दिनांक 27.06.2017 को जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, साहेबगंज को समर्पित किया गया। ग्रामीणों एवं जिला परिषद सदस्य, साहेबगंज द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, उधवा को दिनांक 04.04.2017 को योगदान हेतु अनुरोध किया गया, किन्तु किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया गया।

आगे उनका यह भी कहना है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, उधवा के पत्रांक 241/बा0, दिनांक 24.09.2017 को अजमीरा खातुन, सेविका, खादीटोला, मिर्जानगर को आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या 258, बकाईटोला का प्रभार मुझ पर मेरी बहु की हत्या का आरोप लगाते हुए प्रतिनियुक्त की गई। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,

Scanned with OKEN Scanner

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश... गई कार्र...
	2	

उधवा के ज्ञापांक 244/बा0, दिनांक 13.10.2018 को चयन मुक्त संबंधी पत्र निर्गत की गई। आगे यह भी उल्लेख किया गया कि मेरे द्वारा मेरी बहु की हत्या नहीं की गई है।

उन्होने बकाईटोला आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या 258 में पुनः योगदान करने हेतु आदेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, साहेबगंज के पत्रांक 2106/जि0स0क0, दिनांक 16.12.2020 द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध करायी गयी। उनके द्वारा बिन्दुवार प्रतिवेदन इस प्रकार है:–

1. दिनांक 14.09.2016 को महिला पर्यवेक्षिका द्वारा पर्यवेक्षण के दौरान अनुपस्थित पायी गयी। सहायिका द्वारा बताया गया कि दिनांक 29.08.2016 को टी0एच0आर0 वितरण के बाद दिनांक 30.08.2016 से लगातार अनुपस्थित है।
2. महिला पर्यवेक्षिका द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, उधवा को लिखित जानकारी दी गई। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, उधवा के पत्रांक 239/बा0, दिनांक 24.09.2016 द्वारा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, साहेबगंज को भेजी गई।
3. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, उधवा के ज्ञापांक 241/बा0, दिनांक 24.09.2016 को अन्य सेविका अजमीरा खातुन, आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या 241 को प्रतिनियुक्त कर प्रभार सौपने का आदेश निर्गत किया गया, जिसकी प्रतिलिपि पूर्व सेविका योगमाया देवी को दी गई। उनके द्वारा प्रभार नहीं सौपी गई।
4. दिनांक 18.10.2018 को योगमाया देवी के द्वारा एक आवेदन समर्पित की गई, जिसमें छुट्टी का कोई आवेदन नहीं। कार्य पर सक्षम होने हेतु जिक्र की गई। स्वस्थ्य होने संबंधी प्रमाण पत्र के साथ। इसके बावजूद भी योगदान के लिए नहीं आयी।
5. महिला पर्यवेक्षिका द्वारा अपने पत्रांक 01 दिनांक 22.11.2016 द्वारा पासबुक एवं अन्य सभी आवश्यक पंजी तथा सामग्री का प्रभार सौपने हेतु पाँच दिनों के अन्दर प्रभार सौपने का समय दिया गया। लेकिन योगमाया देवी द्वारा प्रभार नहीं सौपी गई।
6. दिनांक 23.11.2016 को दिए गये आवेदन का जाँच बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, उधवा के आदेशानुसार महिला पर्यवेक्षिका द्वारा दिनांक 23.11.2016 को स्थल जाँच किया गया।
7. पुनः महिला पर्यवेक्षिका अपने पत्रांक 02 दिनांक 09.12.2016 से पासबुक एवं अन्य सभी आवश्यक पंजी तथा सामग्री का प्रभार सौपने हेतु स्मार पत्र दिये। उसके बावजूद भी प्रभार नहीं सौपी गई।
8. दिनांक 13.12.2016 को योगमाया देवी से दूसरा आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें एक माह अवकाश में रहने के लिए अनुरोध किया गया।
9. दिनांक 31.01.2017 को योगमाया देवी द्वारा तीसरा आवेदन पुनः एक माह अवकाश में रहने के लिए दिनांक 18.10.2016 को Fitness Certificate के साथ Duty में सक्षम होने का आवेदन दिये। योगदान करने नहीं आयी। छुट्टी का कोई आवेदन नहीं। दिनांक 13.12.12.2016 को दूसरा पत्र एक माह के अवकाश के लिए। दिनांक 13.12.2016–12.01.2021
10. दिनांक 03.03.2017 महिला पर्यवेक्षिका का जाँच प्रतिवेदन।
11. दिनांक 07.04.2017 प्रतिनियुक्त सेविका द्वारा योगमाया देवी के विरूद्ध केन्द्र पर हंगामा खड़ा करने एवं गाली–गलौज करने का आवेदन।

Scanned with OKEN Scanner

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही

12. दिनांक 08.04.2017 को महिला पर्यवेक्षिका द्वारा परिवाद पत्र की जाँच।
13. पत्रांक 91 दिनांक 12.04.2017 द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, उधवा द्वारा स्पष्टीकरण की माँग।
14. दिनांक 15.04.2017 को योगमाया देवी द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, उधवा को सौपी गई, लेकिन योगदान की अनुशंसा नहीं है।
15. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, उधवा के पत्रांक 169A दिनांक 18.07.217 द्वारा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, साहेबगंज को मार्गदर्शन हेतु पत्र प्राप्त।
16. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, उधवा द्वारा पत्रांक 34 दिनांक 01.02.2018 से स्पष्टीकरण।
17. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, उधवा के पत्रांक 38 दिनांक 02.02.2018 से योगदान करने के लिए अनुमति देने के संबंध में पत्र।
18. दिनांक 13.02.2018 को योगमाया देवी द्वारा जवाब दी गई परन्तु अनुपस्थित रही।
19. दिनांक 21.07.2018 जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, साहेबगंज और महिला पर्यवेक्षिका द्वारा जाँच प्रतिवेदन।
20. जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, साहेबगंज के पत्रांक 1057 दिनांक 19.08. 2018 द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, उधवा को चयन मुक्त करने हेतु पत्र निर्गत।
21. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, उधवा के पत्रांक 244 दिनांक 13.10.2018 द्वारा चयन मुक्त आदेश निर्गत।

अतएव आवेदिका के विज्ञ अधिवक्ता एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, साहेबगंज से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि आवेदिका योगमाया देवी, पति–श्री गोरांग प्रमाणिक के द्वारा अपने कार्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई है, जो एक सरकारी कर्मचारी के कार्यों के विरूद्ध है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि लंबी अवधि तक बिना अवकाश स्वीकृत कराये आवेदन देकर केन्द्र से अनुपस्थित रहना, केन्द्र संचालन नहीं करना यह अपने दायित्व के प्रति उदासीनता का परिचायक है।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर विचारोपरान्त जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या 258 के चयन मुक्त आदेश को यथावत (Upheld) रखा जाता है। आदेश की प्रति आवेदिका को एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, साहेबगंज को भेजें। वाद की कार्यवाही समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर) 18/11/20

उपायुक्त,
साहेबगंज।

(हस्ताक्षर) 18/11/20

उपायुक्त,
साहेबगंज।

निर्गत
ज्ञापांक – 225/डी॰
दि॰ – 03/11/21

Digitally signed by Hemant Sati
Date: 2025.01.15 14:11:58 +05:30
Location: 192.168.0.141

Scanned with OKEN Scanner